रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2016/फाल्गुन 7, 1937
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2016/PHALGUNA 7, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 197(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण ("राष्ट्रीय अभिलेखागार का 125वां वार्षिकोत्सव" के अवसर पर स्मारक सिक्कों का जारी किया जाना) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्कों का अंकित मूल्य.**— "राष्ट्रीय अभिलेखागार का 125वां वार्षिकोत्सव" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात :-
 (i) एक सौ पच्चीस रुपये;
 (ii) दस रुपये;

3. **सिक्कों की विमाएं और संरचना.**—नियम 2 में उल्लिखित अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात :—

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पच्चीस रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**चतुष्क मिश्र धातु** चांदी – 50 प्रतिशत तांबा – 40 प्रतिशत निकल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत

दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्वि-धात्विक)	-	**बाह्य वलय** (एल्युमिनियम कांसा) तांबा – 92 प्रतिशत एल्युमिनियम- 06 प्रतिशत निकल – 02 प्रतिशत **केंद्रीय भाग** (कूप्रो निकल) तांबा- 75 प्रतिशत निकल – 25 प्रतिशत

4. डिज़ाइन – सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा :-

5. मानक वजन और अनुमत छूट.—निम्नलिखित मूल्य वर्ग के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुमत छूट, इन नियमों की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

पहली अनुसूची

(देखें नियम 4)

(i) एक सौ पच्चीस रुपये

अग्र भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में "**भारत**" शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"**INDIA**"** शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"125"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मध्य में "राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन" की आकृति होगी जिसके नीचे 125 वर्ष/YEARS उत्कीर्णित होगा। "राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन" की आकृति के ऊपर और मध्य में "125वां वार्षिकोत्सव" का लोगो होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि और निचली परिधि में क्रमश: देवनागरी लिपि में **"राष्ट्रीय अभिलेखागार"** और अंग्रेजी में "NATIONAL ARCHIVES OF INDIA" उत्कीर्णित होगा। आकृति के बांए और दांए शीर्ष पर अंतराष्ट्रीय अंकों में क्रमश: वर्ष "1891" और "2016" उत्कीर्णित होगा।

(ii) दस रुपये

अग्र भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में "**भारत**" शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"**INDIA**"** शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"10"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग के मध्य में **"**राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन" की आकृति होगी जिसके नीचे 125 वर्ष/YEARS उत्कीर्णित होगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन की आकृति के ऊपर और मध्य में "125वां वार्षिकोत्सव" का लोगो होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि और निचली परिधि में क्रमश: देवनागरी लिपि में **"राष्ट्रीय अभिलेखागार"** और अंग्रेजी में "NATIONAL ARCHIVES OF INDIA" उत्कीर्णित होगा। आकृति के बांए और दांए शीर्ष पर अंतराष्ट्रीय अंकों में क्रमश: वर्ष "1891" और "2016" उत्कीर्णित होगा।

IndiaCode

दूसरी अनुसूची
(देखें नियम 5)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ पच्चीस रूपये	35 ग्राम	चांदी में 1/500वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात चाँदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा ।	1/100वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का अंतर हो सकता है ।
दस रूपये	7.71 ग्राम (बाह्य वलय 4.45 ग्राम और मध्य भाग 3.26 ग्राम)	बाह्य वलय- (एल्युमिनियम-कांसा) एल्युमिनियम- 5.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत, निकल- 1.75 प्रतिशत से 2 प्रतिशत और शेष तांबा है। मध्य भाग- (कूप्रो- निकल) तांबा और निकल दोनों के लिए 1 प्रतिशत जोड़ कर या घटा कर अर्थात तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत और निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत का अंतर हो सकता है।	2.5 प्रतिशत जोड़ कर या घटा कर अर्थात वजन में 7.52 ग्राम से 7.90 ग्राम का अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 04/07/2015-सिक्का]
पंकज गुप्ता, अवर सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2016

G.S.R. 197(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coinage (issue of commemorative coins on the occasion of one hundred twenty-fifth Year of National Archives of India) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Denomination of coins.—The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of 125th Years of National Archives of India, namely:-

(i) one hundred twenty five rupees; and

(ii) ten rupees.

3. Dimension and composition of coins.—The coins of the denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal Composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Twenty Five Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 Percent Copper - 40 Percent Nickel - 05 Percent Zinc - 05 Percent
Ten Rupees	Circular 27 millimeter (Bi- metallic)	---	Outer Ring (Aluminium Bronze) Copper - 92 Percent Aluminum - 06 Percent Nickel - 02 Percent Center Piece (Cupro Nickel) Copper – 75 Percent Nickel – 25 Percent

4. Design.—The design of the coins shall be as specified in the First Schedule to these rules**.**

5. Standard weight and remedy allowed.—Standard weight of the coins of the following denominations, and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

The First Schedule

(See rule 4)

(i) ONE HUNDRED TWENTY FIVE RUPEES-

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery with the word "INDIA" in English, and it shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "**125**" in International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of "National Archives Building" in the centre, with inscription 125 वर्ष / YEARS below the image. A logo of 125th Anniversary Celebration shall exist at the centre and above the image of "National Archive Building". The inscription "राष्ट्रीय अभिलेखागार" in Devanagari script and "NATIONAL ARCHIVES OF INDIA" in English shall be respectively on upper periphery and the lower periphery of the coin. The year "1891" and "2016" in international numerals shall be written respectively on left and right top of the image.

(ii) TEN RUPEES-

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery with the word "INDIA" in English, and it shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "**10**" in International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of "National Archives Building" in the centre, with inscription 125 वर्ष / YEARS below the image. A logo of 125th Anniversary Celebration shall exist at the centre and above the image of "National Archive Building". The inscription "राष्ट्रीय अभिलेखागार" in Devanagari script and "NATIONAL ARCHIVES OF INDIA" in English shall be respectively on upper periphery and the lower periphery of the coin. The year "1891" and "2016" in international numerals shall be written respectively on left and right top of the image.

IndiaCode

The Second Schedule

(See rule 5)

Denomination of coin	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Twenty five Rupees	35 Grams	1/500th plus or minus for silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100th plus or minus that is to say weight could vary from 34.65grams to 35.35 grams.
Ten Rupees	7.71 Grams (Outer Ring 4.45 grams and Centre Piece 3.26 grams)	Outer Ring (Aluminium Bronze) Aluminium –5.5 percent to 6 percent Nickel – 1.75 percent to 2 percent and remainder are Copper. Centre Piece (Cupro - Nickel) Plus or Minus 1 percent for both Copper and Nickel, that is to say, the Copper may vary from 74 percent to 76 percent and Nickel may vary from 24 percent to 26 percent.	Plus or minus 2.5 percent that is to say, weight could vary from 7.52 grams to 7.90 grams.

[F. No. 04/07/2015-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.